

**न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)****(समक्ष: मोहम्मद अजहर)****दॉ.अपील क.-38/17****संस्थित दिनांक-12.04.17**

गुड्डा उर्फ रणवीर सिंह यादव पुत्र बरजौर

सिंह आयु 42 वर्ष जाति यादव निवासी

लोहारपुरा (मौ) परगना गोहद जिला भिण्ड

म0प्र0

.....**अपीलार्थी****बनाम**

माध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ

तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....**प्रत्यर्थी**

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

**// निर्णय //****(आज दिनांक 22.02.2018 को घोषित)**

1. यह अपील धारा-374 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 147/15, अपराध क्रमांक 28/15 उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ, गोहद बनाम गुड्डा उर्फ रणवीर सिंह में द घोषित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 03.04.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-379 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराते हुए दो वर्ष के कठिन कारावास एवं 500/-रुपए के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताए जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 13 एवं 14.02.15 की रात्रि में फरियादी बृजेश हिण्डोलिया (जाटव), मोतीराम एवं दीनाराम के साथ अपनी हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-6933 से निमंत्रण खाने कस्बा मौ में हरिजन छात्रावास में हरिनारायण के यहां आए थे। बृजेश ने अपनी मोटरसाइकिल उक्त छात्रावास की गेट पर लॉक करके खड़ी कर दी थी तथा वे सभी लोग खाना खाने अंदर चले गए। जब वे सब खाना खाकर रात करीब 09:30 बजे वापिस आए तो बृजेश की उक्त मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मोटरसाइकिल की तलाश करने पर नहीं मिली तब

दिनांक 14.02.15 को सुबह 10:30 बजे उक्त घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-01 के रूप में थाना मौ में फरियादी बजेश द्वारा दर्ज कराई गई।

3. दौराने अनुसंधान दिनांक 14.02.15 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-02 बनाया गया। उसी दिनांक को फरियादी बजेश, साक्षी हरनारायण जाटव, दीनाराम जाटव एवं मोतीराम जाटव के कथन लिए गए। दिनांक 19.02.15 को स्योडा रोड पेट्रोल पंप मौ पर अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के आधिपत्य से हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-6933 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया गया। अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर का दिनांक 19.02.15 को मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसमें उसने स्योडा रोड पेट्रोल पंप मौ पर हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-6933 अपने पास होना बताया। जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-05 तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-04 से गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर धारा-379 भा0दं0सं0 के तहत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भां0दं0सं0 की धारा-379 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढकर सुनाए एवं समझाए जाने पर उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा-379 के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया है। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील की गई है तथा यह निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

1. क्या दिनांक 13 एवं 14.02.15 की रात्रि 09:30 बजे के लगभग अपीलार्थी/अभियुक्त ने हरिजन छात्रावास मौ के बाहर से फरियादी बजेश के आधिपत्य की हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-6933 की चोरी की ?
2. क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?

**--: सकारण निष्कर्ष ::--**

7. अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक के द्वारा तर्कों एवं अपील मेमो में लिए गए आधार यह है कि अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य कराई गई है, उसमें आपस में काफी विरोधभास है, समय का भी सही ढंग से विवेचन नहीं किया गया है। विवेचना अधिकारी ने भी सही रूप से अपने कथनों में घटना का समय तक नहीं बताया है और अभियोजन की ओर से घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं कराया गया है। विवेचना अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किस आधार पर किया गया था। मेमो व जानकारी स्पष्ट शब्दों में नहीं बताई है अर्थात् अभियुक्त के शब्दों में नहीं बताई है। मोटरसाइकिल कहां है, इसकी जानकारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही रूप से विवेचन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश विधि विधान व साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले निरस्ती है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
8. इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया गया। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचना अधिकारी आर.के.पाठक अ0सा0-06 की साक्ष्य को विश्वसनीय माना है। यह भी मान्य किया है कि हरनारायण अ0सा0-03 की साक्ष्य द्वारा पुलिस द्वारा वाहन जप्त करने के तथ्य का समर्थन होता है। अपीलार्थी के आधिपत्य से प्रश्नगत मोटरसाइकिल की जप्ती होना प्रमाणित मानते हुए, धारा-114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा के अनुसार उसे दोषसिद्ध किया है।
9. इस मामले में बृजेश हिण्डोलिया अ0सा0-01 मोतीराम अ0सा0-02 हरनारायण अ0सा0-03 एवं दीनाराम जाटव अ0सा0-04 ने फरियादी बृजेश हिण्डोलिया की मोटरसाइकिल चोरी होना बताया है, जिसे प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि मोतीराम अ0सा0-02, हरनारायण अ0सा0-03 एवं दीनाराम जाटव को पक्षविरोधी घोषित किया गया है। परंतु उन्होंने यह तो बताया है कि हरनारायण के यहां शादी में बृजेश की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जिससे यह प्रमाणित होता है कि हरनारायण के यहां शादी में बृजेश अपनी मोटरसाइकिल से गया था, जहां उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। उस मोटरसाइकिल का क्रमांक बृजेश अ0सा0-01 ने एम.पी.-07-एम.जी.-6933 होना बताया है, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-01 से भली भांति हुई है।
10. अपीलार्थी की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि प्र0पी0-05 के मेमोरेण्डम की जानकारी साक्षी आर.के. पाठक ने स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। मोटरसाइकिल कहां है, इसकी जानकारी के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। अभियुक्त को किस आधार पर गिरफ्तार किया, यह भी स्पष्ट नहीं किया है। आर.के. पाठक

अ0सा0-06 ने अभियुक्त गुड्डा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया जाना, अभियुक्त के द्वारा प्र0पी0-05 का मेमोरेण्डम दिया जाना और उसी दिनांक को स्योडा रोड पेट्रोल पंप मौ पर अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर से उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-9633 जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-03 बनाया जाना बताया है। साक्ष्य के समय विचारण न्यायालय के द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया है कि मोतीराम जाटव के पुलिस कथन को प्र0पी0-03 से प्रदर्शित किया गया है तथा जप्तीपंचनामा को भी प्र0पी0-03 से प्रदर्शित किया है। अतः सुविधा की दृष्टि एवं भ्रम की स्थिति से बचने के लिए उक्त जप्ती पंचनामा के प्रदर्श को प्र0पी0-3ए किया गया।

11. प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 19.02.15 को शाम 05:20 बजे के लगभग स्योडा रोड पेट्रोल पंप मौ में अभियुक्त गुड्डा के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-9633 को जप्त करना बताया गया है और तभी अभियुक्त के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल की जानकारी प्र0पी0-05 के मेमोरेण्डम के माध्यम से दी गई है। प्र0पी0-05 के मेमोरेण्डम से स्पष्ट है कि उक्त मेमोरेण्डम में उक्त मोटरसाइकिल को स्वयं के पास होने की जानकारी दी गई है और उसी आधार पर प्र0पी0-04 के गिरफ्तारी पंचनामे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम जप्ती की कार्यवाही हुई है। उसके बाद मेमोरेण्डम एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई है।

12. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार तो अवश्य लिया है कि गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया है और मोटरसाइकिल कहाँ है, इसकी जानकारी के बारे में भी स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया है। यह स्थिति तब होती जबकि मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की जाती, परंतु इस मामले में पेट्रोल पंप पर पहले जप्ती हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से विवेचना अधिकारी आर.के. पाठक से ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछा गया है कि मेमोरेण्डम के पहिले जप्ती कैसे कर ली गई। तब ऐसी स्थिति में मेमोरेण्डम के अनुसार स्पष्ट शब्दों में जानकारी न बताने का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जहां कि जप्ती पहिले कर ली गई है, वहां मेमोरेण्डम केवल औपचारिक हो जाता है।

13. आर.के. पाठक अ0सा0-06 के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आए हैं, जिससे उनके द्वारा की गई कार्यवाही में कोई संदेह उत्पन्न होता हो। जप्ती पंचनामा प्र0पी0-3ए के अन्य साक्षी हरनारायण अ0सा0-03 एवं लालाराम अ0सा0-05 हैं। दोनों ही साक्षियों ने प्र0पी0-3ए के जप्ती पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। परंतु इन हस्ताक्षरों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं कि जप्ती पंचनामे में उक्त हस्ताक्षर कैसे हो गए। आर.के. पाठक अ0सा0-06 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव ही नहीं दिया गया है कि अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल जप्त ही नहीं हुई। इस प्रकार आर.



के. पाठक अ0सा0-06 की साक्ष्य अखण्डनीय भी हो जाती है।

14. अभिलेख पर आई सामग्री और साक्ष्य के अनुसार ऐसा कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया हो। अभियुक्त की ओर से भी इस संबंध में बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आर.के. पाठक अ0सा0-06 की साक्ष्य पूर्णतः विश्वनीय होकर उसके आधार पर अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल जप्त होना प्रमाणित हुआ है। चूंकि उक्त मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, इसलिए पहचान का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
15. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त गुड्डा के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल का जप्त होना प्रमाणित मानने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। इसी प्रकार धारा-114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत (क) की उपधारणा के अनुसार अभियुक्त गुड्डा के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को चुराए जाने का अपराध प्रमाणित मानते हुए कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सबित करने में सफल होने का निष्कर्ष दिए जाने में भी कोई त्रुटि कारित नहीं की है।
16. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त गुड्डा उर्फ रणवीर सिंह को फरियादी बृजेश हिण्डोलिया की उपरोक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.जी.-6933 को चोरी करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहरा कर कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।
17. बचावपक्ष के विद्वान अभिभाषक के द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है। विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-16 में अपीलार्थी गुड्डा के विरुद्ध अन्य लगभग 21 मामले दर्ज होना बताए जाने का उल्लेख किया है यह भी उल्लेख किया है कि दोषमुक्ति का कोई दस्तावेज अपीलार्थी/अभियुक्त ने पेश नहीं किया है। परिवीक्षा प्रावधानों को लाभ न दिए जाने का उक्त कारण युक्तियुक्त एवं न्यायोचित होना प्रकट होता है। अपीलार्थी की आयु को भी देखते हुए एवं मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथा तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
18. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, इस संबंध में बचावपक्ष की ओर से कम से कम दण्ड दिए जाने तथा अभियुक्त के साथ उदारता बरतने की प्रार्थना की गई है। अभियोजन की ओर से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश को उचित ठहराते हुए कोई परिवर्तन न किए जाने की प्रार्थना की गई है।

19. मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए, जहां कि धारा-379 भा0दं0सं0 का अपराध अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध सात प्रकरण मारपीट के, दो प्रकरण धारा-307 भा0दं0सं0 के, तीन प्रकरण चोरी के, तीन प्रकरण आयुध अधिनियम के, एक प्रकरण डकैती अधिनियम का, दो प्रकरण धारा-110 दं0प्र0सं0 का एवं एक प्रकरण धारा-34(2) म0प्र0आ0अधिनियम का है, वहां विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दो वर्ष के कठिन कारावास एवं पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दण्ड से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त दण्डादेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त दण्डादेश मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होता है।

20. फलस्वरूप विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और दण्डादेश किसी त्रुटि से ग्रसित न होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तदनुसार प्रश्नगत दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि करते हुए यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

21. अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल फरियादी बृजेश हिण्डोलिया के पास ही रहेगी।

23. इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित ।  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड